

आञ्जनेय कुमार सिंह
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
 परती भूमि विकास विभाग,
 उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष

वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर

बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर, महोबा, झाँसी, फैजाबाद,
 गोरखपुर, कुशीनगर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, संतरविदास नगर, सिद्धार्थ नगर,
 अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, औरैया, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बुलन्दशहर,
 देवरिया, एटा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, हरदोई, हाथरस, अमरोहा,
 (जेपीनगर) कानपुर नगर, कौशाम्बी, रामपुर, सहारनपुर, सम्भल, संत कबीर
 नगर, शाहजहांपुर, उन्नाव, आगरा, इलाहाबाद, अमेठी, बहराइच, बलिया,
 बलरामपुर, बाराबंकी, बागपत, बिजनौर, चंदौली एवं गोंडा(देवीपाटन), जौनपुर,
 कानपुर देहात, लखनऊ, महराजगंज, मथुरा, मऊ, पीलीभीत, श्रावस्ती,
 सीतापुर, सोनभद्र तथा वाराणसी।

पत्र सं-१०५५/८५—परती—२०१६/२०१५—१६ लखनऊ दिनांक २७ जनवरी, २०१६

विषय— समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अन्तर्गत
 वित्तीय वर्ष २०१०—११ में स्वीकृत परियोजनाओं के वाटरशेड वर्क फेज
 की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र
 संख्या—के—११०१३/१९/२०१३/आईडब्ल्यूएमपी(यूपी) क्रमांक—१/यूपी/२०१५—१६/
 आईडब्ल्यूएमपी दिनांक ३१ अगस्त, २०१५ तथा पत्र संख्या—के—११०१३/१९
 /२०१३/आईडब्ल्यूएमपी(यूपी)क्रमांक—२/यूपी/२०१५—१६/आईडब्ल्यूएमपी दिनांक
 ३१ अगस्त, २०१५ द्वारा केन्द्रांश की धनराशि राज्य के बजट खाते में जमा की गयी
 है जिसकी पुष्टि वित्त विभाग के केन्द्रीय सहायता अनुभाग द्वारा की गयी है।
 शासनादेश संख्या—७४/आईडब्ल्यूएमपी/८५—परती—२०१५—३०(परती)/२०१४ दिनांक
 १९ नवम्बर, २०१५ एवं शासनादेश—८६/आईडब्ल्यूएमपी/८५परती—२०१५—३० (परती)
 /२०१४ दिनांक १८ दिसम्बर, २०१५ द्वारा भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश तथा
 उसके सापेक्ष १० प्रतिशत राज्यांश को सम्मिलित करते हुये परियोजना मद के
 अन्तर्गत वाटरशेड वर्क फेज की ५० प्रतिशत धनराशि में से वर्ष २०१४—१५ तक कुल
 अवमुक्त की गयी धनराशि को घटाकर प्रशासनिक मद तथा कार्यमद में धनराशि
 संलग्न तालिका के कालम नं०—१४ में अंकित धनराशि समेकित जल संग्रहण

